यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल संभागीय नियोजनखंड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गढ़वाल मण्डल, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी के माह 09/201 6 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपेश कुमार-सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व रविप्रताप सिंह यादव-व. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 09.08.2017 से 14.08.2017 तक श्री हनुमान सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.के. जोगी-सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनीष श्रीवास्तव - सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.09.2016 से 01.10.2016 तक श्री हनुमान सिंह- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2008 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलापः महायोजना तैयार किया जाना एवं तकनीकी परामर्श अन्य कार्य।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः गढ़वाल मण्डल

(iii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना`	गैरस्थापना`	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	शून्य	शून्य	34078000	26779592	शून्य	शून्य	शून्य	7298408
2016-17	शून्य	शून्य	45736731	27322181	शून्य	शून्य	शून्य	18414550
2017-18 (जुलाईतक)	शून्य	शून्य	11515600	10423398	शून्य	शून्य	---	1092202

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त`	व्यय अधिक्य(+) `	बचत(-) `
	शून्य				

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई'सी' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव (आवासविभाग)

2.मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

3.वरिष्ठ नियोजक

4. सहयुक्त नियोजक

(v) **लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल संभागीय नियोजन खंड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गढ़वाल मण्डल, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल संभागीय नियोजनखंड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गढ़वाल मण्डल, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05 /2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल संभागीय नियोजन खंड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गढ़वाल मण्डल, देहरादून का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II'ब'

प्रस्तर-1 : त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु. 14076 की धनराशि का अधिक भुगतान।

उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016 के अनुसार एकस्तर से दूसरे स्तर में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन वृद्धि उस स्तर में दी जाएगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नत किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गयी है, के स्तर में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गयी है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

कार्यालय सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल संभागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून में कार्यरत श्री संजीव कौशिक, वरिष्ठ सहायक की सेवापुस्तिका में दिनांकः 01.01.2016 को सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण रु. 34,900 किया गया, जिसके बाद माह अप्रैल 2016 में ए.सी.पी. के उपरांत वेतन निर्धारण रु. 39,900 किया गया है,जो कि सातवें वेतनमान की वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 6 में रु. 36,500 होना चाहिए था एवं जनवरी 2017 में वा षक वेतन वृद् ध के पश्चात रू. 37,600 होना चाहिए था।

पे बिल रजिस्टर की जांच में पाया गया कि, कर्मचारी को माह अप्रैल 2016 में निर्धारित किए गए वेतन के अनुसार माह फरवरी 2017 से भुगतान किया जा रहा है। एवं अप्रैल 2016 से जनवरी 2017 के मध्य की शेष धनराशि (arrears) का भुगतान लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था एवं कर्मचारी को माह फरवरी 2017 से मासिक वेतन रु. 39,900 का भुगतान किया जा रहा है, जोकि रु. 37,600 किया जाना चाहिए था। इस प्रकार कर्मचारी को माह फरवरी 2017 से जुलाई 2017 तक प्रतिमाह रु. 2300 के हिसाब से कुल रु. 13800 तथा महंगाई भत्ता के रूप में कुल रु. 276 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया है। इस प्रकार कुल रु. 14076 का अधिक भुगतान किया गया था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि, श्री संजीव कौशिक, वरिष्ठ सहायक की सेवा पुस्तिका में सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन निर्धारण में संशोधन कर अधिक भुगतान की गयी धनराशि का समायोजन कर लिया जाएगा।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु. 14076 की धनराशि के अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2 - उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत क्रय, रु. 2.23 लाख।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार ऐसी सामग्री जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है, उनके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की पदनामित केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा 'दर संविदा' की जा सकती है। ऐसी 'दर संविदाओं' का विवरण विभाग/शासन की वेबसाइट पर रखा जाना चाहिए। विभाग/शासन यह सुनिश्चित करेगा कि दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिए गये मूल्य से अधिक न हों। दर संविदाएं सामान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेंगी। तथापि ऐसी सामग्री के विषय में जिनके मूल्य में निरन्तर उतार–चढाव होता रहता है या जहाँ दर संविदा के वैध अवधि में मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति हो, अल्प अवधि के लिए दर संविदा की जा सकती है।

कार्यालय के क्रय संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कम्प्युटर हार्डवेयर व कम्प्युटर स्टेशनरी मद में वर्ष 2016-17 में रु. 2.05 लाख व वर्ष 2017-18 (जुलाई तक) में रु. 0.18 लाख की इस प्रकार कुल रु. 2.23 लाख धनराशि की सामग्रियों का क्रय दर संविदा के द्वारा न कर के वर्ष में कई बार कोटेशन के माध्यम से की गयीं थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार रु. 50,000 कि सामाग्री के लिए बिना दर सूची के क्रय किया जा सकता है,जबकि विभाग द्वारा कोटेशन के आधार पर सामाग्री क्रय की गयी है,भविष्य में दर संविदा के आधार पर सामग्री क्रय करने की कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार, ऐसी सामग्री जिन की सरकारी विभागों और एजेन्सियों को बार–बार आवश्यकता होती है का क्रय दर संविदा के अनुसार की जानी चाहिए।

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के विपरीत रु. 2.23 लाख की धनराशि के सामग्रियों के क्रय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या
75 /2016-17	---	1
97 /2008-09	---	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालनआख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालनआख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
75 /2016-17	भाग दो – ब प्रस्तर- 1			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---------------शून्य-------------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल संभागीय नियोजन खंड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गढ़वाल मण्डल, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्य भार वहन किया गया**

क्रमसं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1	**श्रीमती गीता खुल्बै**	सहयुक्त नियोजक	09 /2016 से 02.11.16
2	**श्रीमती शालू थिन्ड**	सहयुक्त नियोजक	03.11.16 से 31.03.17
3	**श्री विजयपाल शर्मा**	सहयुक्त नियोजक	01.04.17 से 12.05.17
4	**श्रीमती शालू थिन्ड**	सहयुक्त नियोजक	13.05.17 से 09.06.17
5	**श्रीमती गीता खुल्बै**	सहयुक्त नियोजक	10.06.17 से 30.06.17
6	**श्रीमती शालू थिन्ड**	सहयुक्त नियोजक	01.07.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सहयुक्त नियोजक, गढ़वाल संभागीय नियोजन खंड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, गढ़वाल मण्डल, इन्दिरा पुरम कालोनी, जी.एम.एस. रोड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ सामाजिक क्षेत्र